संख्या– 45/XII-2/2015/02(04)/15

प्रेषक,

शैलेश बगौली।

सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज एवं ग्रा0अभि0 सेवा अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक 17 मार्च, 2015

विशयः– ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत 90 योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रथम अनुपूरक मांगों के माध्यम से ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग में निर्माण कार्यो हेतु रू0 10.00 करोड़ की व्यवस्था आय–व्ययक में की गई थी जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या– 09/XII/2015/01(05)/2014 टी0सी0–1 दिनांक 30 जनवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या–18/XII/2015/01(05)/2014 दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा योजनाओं के सर्वे एवं डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु रू0 4.00 करोड़ की धनराशि निदेशक, ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग को इस निर्देश के साथ निर्गत किये गये थे कि मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग से प्राप्त योजनाओं की सूची के अनुसार सर्वे एवं डी0पी0आर0 हेतु योजनावार धनराशि आवंटित कर दी जाये। तत्कम में निदेशक, ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग ने अपने पत्र संख्या–135(VI)/ निर्माण–1/2014 दिनांक 23–02–2015 द्वारा मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्ता सेवा विभाग से प्राप्त सूची के अनुसार उपलब्ध 4.00 करोड़ रूपये में से रू0 110.17 लाख (रू0 एक करोड़ दस लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि आहरित कर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध करा दी है। इस प्रकार निदेशक ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के पास पूर्व में स्वीकृत रू0 4.00 करोड़ में से रू0 289.83 लाख (दो करोड़ नवासी लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि उपलब्ध है। इस प्रकार विभाग के पास वर्तमान में स्वीकृति हेतु अवशेष रू0 6.00 करोड़ तथा पूर्व में स्वीकृत धनराशि में से अवशेष रू0 289.83 लाख (दो करोड़ नवासी लाख तिरासी हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 889.83 लाख (आठ करोड़ नवासी लाख तिरासी हजार मात्र) धनराशि उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत 90 योजनाओं जिनका टी0ए0सी0 से परीक्षणोपरान्त आगणित धनराशि उनके नाम के सम्मुख कॉलम–7 में अंकित है, की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–9 में उल्लिखित धनराशि

स्टेज–1 के कार्यो हेतु अर्थात् भूमि की लागत एवं रोड़ कटिंग आदि के लिये विभाग के पास उपरोक्तानुसार उपलब्ध रू0 8,89,83,000.00 (आठ करोड़ नवासी लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि रू0 600.00 लाख आय व्ययक में उपलब्ध एवं रू0 289.83 लाख की धनराशि पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 30–1–2015 में आंशिक संशोधन कर प्रत्यावर्तित करते हुये, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 30–1–2015 द्वारा निर्गत रू0 400.00 लाख की धनराशि रू0 110.17 लाख निर्गत समझी जायेगी तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 30–1–2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

2– उक्त धनराशि निदेशक ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग द्वारा संलग्न सूची के अनुसार उल्लिखित जनपदों के अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के पक्ष में आहरित कर उपलब्ध करा दी जाये।

3– विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।

5– स्वीकृत योजनाओं के निर्माण में उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6– निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग का होगा।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानकों से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किय जाये।

10– यदि संलग्न कार्यो में से किसी कार्य को ग्रामीण सडकें एवं ड्रेनेज विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

11– स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा बजट मैनुअल एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

12– विभाग में स्वीकृतियों का रजिस्टर रखा जायेगा और प्रत्येक माह की स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना अद्यतन करते हुये तत्सम्बन्धी आख्या निर्धारित प्रपत्रों पर शासनादेशों की प्रति सहित वित्त एवं

न विभाग के साथ प्रशासकीय विभाग को भी निर्धारित समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। साथ धनराशि के व्यय की संकलित सूचना सुसंगत बी0एम0 प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

13— वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31—3—2015 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

14— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय व्ययक के अधीन अनुदान संख्या—19— के आयोजनागत लेखाशीर्षक—4515—00 —800—04— ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज —मानक मद—24 वृहत निर्माण पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत किया जायेगा।

15— यह आदेश वित्त अनुभाग—1 के शासनादेश संख्या— 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 के अधीन साफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर—S1503190212 से जनरेट कर वित्त अनुभाग—4 के अशासकीय संख्या—155(P)XXXVII-4/14, दिनांक 13 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या—45/XIII-2/2015/02(04)/15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— आयुक्त मण्डल, पौड़ी/ कुमांयू मण्डल, नैनीताल।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5— वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6—मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, देहरादून।
7—सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड।
8— वित्त अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन।
9— निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, देहरादून।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
अपर सचिव

कार्यालय
निदेशक ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज विभाग, उत्तराखण्ड
लेन नं0—7 एकता विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

पत्रांक : 231 /निर्माण—1/2014 दिनांक : 19 मार्च, 2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटरर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. सचिव, ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त मण्डल, पौड़ी/कुमायुं मण्डल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अधिकारी, ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्तवत् सड़कों के रजिस्टर का भी रखरखाव करायें।
11. गार्ड फाइल।

(जी0बी0 ओली)
निदेशक

	उत्तरकाशी	पुरोला	पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 10 मे ग्राम हुडोली से टड्डा ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु समरेखण	0.775	113.37	106.41	0.54	6
	योग :–			5.700	667.530	597.850	.3.98	36.
48	नैनीताल	बेतालघाट	रातीघाट–बेतालघाट मार्ग से गैरखाल मोटर मार्ग निर्माण	1.325	113.73	95.98	0.93	10.0
49	नैनीताल	हल्द्वानी	छडायल नयाबाद से बासूदेवपुरम सम्पर्क मोटर मार्ग (माननीय मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत)	0.379	26.61	25.09	0.27	5.09
50	नैनीताल	हल्द्वानी	तल्ला बच्ची नगर में आन्तरिक सम्पर्क मार्ग निर्माण	0.277	8.80	9.70	0.19	9.70
51	नैनीताल	रामनगर	रामनगर लालडांग मोटर रोड से सिमलखलिया सम्पर्क मार्ग लागत	0.916	41.83	62.76	0.64	7.76
	योग :–			2.897	190.970	193.530	2.03	32.55
52	अल्मोडा	धौलादेवी	काफलीखान–भनोली–दशौला मोटर मार्ग से ग्राम बडियार तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.40	195.17	156.66	1.68	10.00
53	अल्मोडा	हवालबाग	अल्मोडा–बागेश्वर मुख्य मोटर मार्ग के बुलकानी से ग्राम धुरसौं तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.775	211.80	162.61	1.94	10.00
54	अल्मोडा	ताकुला	ताकुला–गणानाथा मोटर मार्ग से ग्राम सभा थप्लला तक मोटर मार्ग का निर्माण	1.20	127.45	113.79	0.84	10.00
55	अल्मोडा	लमगडा	जैंती–पीपली मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम तल्ला भट्यूडा तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	265.50	223.60	1.40	10.00
56	अल्मोडा	भैंसियाछाना	मुख्य मोटर मार्ग से ग्राम पुनाकोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	231.84	205.32	1.40	10.00
	योग :–			8.375	799.920	656.660	7.26	50.00
57	पिथौरागढ	कनालीछीना	मसुराडी–चौखा–मरोठ सडक का निर्माण	2.50	276.98	240.53	1.05	15.53
58	पिथौरागढ	मूनाकोट	गोगिना सल्ला मोटर मार्ग से चिंगरी पन्ना चौड सडक का निर्माण	1.50	191.02	164.74	1.75	10.00
59	पिथौरागढ	गंगोलीहाट	बाजड से चौना तक मोटर मार्ग निर्माण	1.45	163.82	140.93	1.01	10.00